राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांकः पं.2(4)शि-5/2007पार्ट-III जयपुर, दिनांकः सितम्बर 16, 2011

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।

विषयः राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्त कार्मिकों के सी.पी.एफ. भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के नियम 5(ix) में यह प्रावधान किया गया था कि इन नियमों के अंतर्गत राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कार्मिकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो अपनी सीपीएफ योजना को चालू रख सकेंगे अथवा राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 के अंतर्गत लाभ हेतु विकल्प दे सकेंगे।

आयुक्त, केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन जयपुर तथा वित्त विभाग के साथ चर्चा करने पर यह स्पष्ट हुआ है कि राजकीय सेवा में समायोजित कार्मिकों पर सीपीएफ योजना लागू नहीं होती है। अतः उक्त नियमों के अंतर्गत नियुक्त राजकीय सेवा में नियुक्त कार्मिकों पर अब राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 ही लागू होंगे। इस संबंध में नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के ऐसे कर्मचारी जिन्हें उपरोक्त वर्णित नियमों के अंतर्गत राजकीय सेवा में नियुक्त किया गया है है वे अपने सीपीएफ खाते में जमा राशि को तुरंत वापस प्राप्त कर सकेंगे।

अतः अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों एवं समस्त अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को उक्त निर्णय से तुरन्त सूचित करते हुए निर्देशित करें कि ऐसे कार्मिकों के सीपीएफ खातों में जमा राशि उन्हें लौटाने हेतु तुरन्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह आदेश वित्त विभाग की आईडी संख्या 10113201 दिनांक 16.9.11 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी किये जाते हैं।

भवदीय
16/09/2011
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान को प्रेषित कर अनुरोध है कि वे भी अपने अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान करें।
3. आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
5. विशेषाधिकारी, वित्त (नियम डिविजन) विभाग।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग।

16/09/2011

निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.24( )लेखा/अनु./आकाशि/पी.एफ./11-12/५५०५ दिनांकः २६-९-११

सचिव/प्राचार्य, समस्त अनुदानित महाविद्यालय, राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संयुक्त निदेशक(अनुदान),
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर।